जिला-श्योपुर
प्र.क्र.-नि-96/10-11
निगरानी.

(85)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. / ।।। विविध आवेदन M-1959-II/2011

रामरतन फौत वारिसान

1- सत्यनारायण वैष्णव आयु 30 वर्ष

2- ओमप्रकाश वैष्णव आयु 40 वर्ष

3- कुलदीप वैष्णव आयु 20 वर्ष

पुत्रगण स्व. रामरतन समस्त जाति वैरागी

निवासीगण दाँतरदा तहसील वजिलाश्योपुर।म.प्र.।

---- आवेदकगण

विरुद्ध

नागाराम पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा

निवासी ग्रामबहरावदा तहसील व जिला श्योपुर

।म.प्र.। ---- अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35{3} म.प्र.भू-राजस्वसंहिता 1959।

मानानीय महोदय,

आवेदननिम्नलिखित प्रस्तुत है -

1- यह कि प्रार्थीगण की उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 22-11-11 सुनवायी हेतु नियत थी। जो प्रार्थी रामरतन के स्वर्गवास हो जाने से वारिसान आवेदन पर सुनवायी होना थी ।

2- यह कि प्रार्थीगण रिश्तेदारी में विवाह में जाने के कारण उपस्थित नहीं होसका । प्रार्थीगण अभिभाषक भी रास्ते में मोटरसाईकिल खराब हो जाने से समय पर नहीं आ सका ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक – 1959–दो/2011 विविध   जिला- श्योपुर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ता
3/5/19	म0प्र0राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रचलित प्रकरण कमांक 196–तीन/2010 निगरानी आदेश दिनांक 22–11–2011 से अदम पैरबी में खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व यह पुर्नस्थापन आवेदन म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। आदेश दिनांक 22–11–2011 पर से पुर्नस्थापन आवेदन दिनॉक 24–11–11 को प्रस्तुत हुआ है, तभी से यह प्रकरण लम्बित है। आवेदक के अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण आदेश दिनांक 22–11–2011 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ है। रफीक विरूद्व मुंशीलाल ए0आई0आर0 1981 एस0सी0 1400 पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय का एंव सुभानशाह विरूद्व मोहम्मद निसार 1995 रा0नि0 248 पर न्याय दृष्टांत हैं कि अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अदम पैरबी आदेश दिनांक 22–11–2011 पर से पुर्नस्थापन आवेदन 24–11–11 को ही प्रस्तुत हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुर्नस्थापित किये जाने में बैधानिक अड़चन न होने से प्रकरण कमांक 196–तीन/ 2010 निगरानी पुर्नस्थापित किया जाने हेतु प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार किया जाता है। इस आदेश की प्रति प्रकरण कमांक 196–तीन/ 2010 निगरानी में योजित कर प्रकरण कमांक 1959–दो/2011 विविध अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे। (सदस्य)	